

वदिशज़ जानवरों के आयात पर एडवाइज़री

प्रीलिमिंस के लिये:

आक्रामक प्रजातियाँ, स्थानिक प्रजातियाँ, वदिशज़ प्रजातियाँ

मेन्स के लिये:

वदिशज़ जानवरों के आयात का नयिमन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में 'केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय' (Union Ministry of Environment, Forest and Climate Change-MoEF&CC) ने वदिशज़ जानवरों के आयात को वनियमिति करने के संबंध में एक एडवाइज़री जारी की है।

प्रमुख बदि:

- वर्तमान में COVID-19 महामारी ने 'वन्यजीवों के माध्यम से जुनोटिक रोगों के प्रसार' को पुनः चर्चा का मुद्दा बना दिया है। अतः वन्य-जीवों के व्यापार को वनियमिति करने के उद्देश्य से सरकार यह एडवाइज़री लेकर आई है।
- यहाँ ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि भारत में अनेक वदिशज़ प्रजातियों का आयात वाणज्यिक प्रयोजन के लिये किया जाता है, जिनके साथ अनेक जोखमि जुड़े होते हैं।

वदिशज़ प्रजातियों (Exotic Species) की सूची:

- जानवरों की वे प्रजातियाँ जो भारत के वभिन्न हिस्सों में पाई जाती है तथा जिनको 'वन्यजीवों तथा वनस्पतियों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन' (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora- CITES) के तहत लुप्तप्राय प्रजातियों के रूप में शामिल किया गया है लेकिन 'वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972' (Wild Life (Protection) Act, 1972) के तहत शामिल नहीं किया गया है।
- यहाँ ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि CITES समझौते के तहत संकटापन्न प्रजातियों को तीन परशिष्टों में शामिल किया जाता है। जिनमें परशिष्ट (I) में ऐसी प्रजातियों को शामिल किया गया है जो 'लुप्तप्राय' हैं तथा जनिहें व्यापार से और भी अधिक खतरा हो सकता है।
- 'वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में छः अनुसूचियों को शामिल किया गया है ताकि देश के वन्य जीवों तथा वनस्पतियों के अवैध व्यापार को नयित्तरति किया जा सके।

प्रजातियों का उनकी स्थानकितता या आवास क्षेत्र के आधार पर वर्गीकरण:

- स्थानिक प्रजातियाँ (Endemic species):**
 - ऐसी प्रजातियाँ जो भौगोलिक रूप से पृथक क्षेत्रों में पाई जाती हैं तथा वशिव में अन्यत्र कहीं प्राकृतिक रूप से नहीं पाई जाती हैं। उदाहरणतः कंगारू मूल रूप से ऑस्ट्रेलिया के लिये स्थानिक प्रजातियाँ हैं।
- वदिशज़ प्रजातियाँ (Exotic Species):**
 - वदिशज़ को सामान्यतः गैर-स्थानिक, बाहरी (Alien) प्रजातियों के रूप में जाना जाता है। ये प्रजातियाँ सामान्यतः उनकी प्राकृतिक भौगोलिक सीमा के बाहर के क्षेत्रों में पाई जाती हैं।
- आक्रामक प्रजातियाँ (Invasive Species):**
 - इन्हें वदिशज़ प्रजातियों का एक उप प्रकार माना जा सकता है। आक्रामक प्रजातियों में ऐसे पौधे या जानवर शामिल किये जाते हैं जो मनुष्य द्वारा, दुर्घटनावश या जानबूझकर, उनकी प्राकृतिक भौगोलिक सीमा के बाहर ऐसे क्षेत्र जहाँ वे प्राकृतिक रूप से नहीं पाए जाते हैं, स्थानांतरित कर दिये जाते हैं परंतु ये स्थानिक प्रजातियों के लिये नुकसानदायक होते हैं।

वदिशज़ प्रजातियों के व्यापार का नयिमन:

- भारत में अनेक पक्षियों, सरीसृपों तथा उभयचरों की वदिशी प्रजातियाँ वाणज्यिक प्रयोजनों के लिये आयात की जाती हैं।
- अब तक इन प्रजातियों का आयात 'वदिश व्यापार महानदिशक' (Director General of Foreign Trade- DGFT) के तहत कया जाता था, जो वन विभाग के दायरे से बाहर था।

नवीन एडवाइज़री के प्रमुख प्रावधान:

- एडवाइज़री में वदिशज़ जानवरों के आयात तथा प्रकटीकरण संबंधी प्रावधान शामिल कये गए हैं। ये प्रावधान उन जानवरों पर भी लागू होंगे जिनकी आयातति प्रजातियाँ भारत में पहले से ही मौजूद हैं।
- कसि भी वदिशज़ जानवर का आयात करने से पूव व्यक्ति को DGFT से लाइसेंस प्राप्तिके लिये एक आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
- आयातक को आवेदन के साथ संबंधति राज्य के 'मुख्य वन्यजीव वार्डन' को 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' (No Objection Certificate- NOC) भी संलग्न करना होगा।
- वे लोग जो पहले से ही वदिशी जानवरों का आयात कर चुके हैं, उन्हें 6 माह के भीतर जानवर के मूल आयातति स्थान की जानकारी देनी होगी। अगर आयातक 6 माह में यह जानकारी देने तथा घोषणा करने में असमर्थ रहते हैं तो उन्हें आवश्यक दस्तावेज़ जमा कराने होंगे।

नवीन एडवाइज़री का महत्त्व:

- भारत में वदिशज़ जानवरों के व्यापार के उचित नयिमन का अभाव पाया जाता है। अतः नवीन एडवाइज़री इन जानवरों के व्यापार का उचित वनियिमन करने में मदद करेगी।
- एडवाइज़री देश में मौजूद वदिशज़ जानवरों की जानकारी जुटाने में मदद करेगी।

संभावति चुनौतियाँ:

- अनेक वन्यजीव विशेषज्ञों का मानना है एडवाइज़री जूनोटिक रोगों के प्रसार को रोकने में अप्रभावी रहेगी। इसमें आक्रामक प्रजातियाँ (Invasive Species) के माध्यम से जूनोटिक रोगों के प्रसार पर ध्यान नहीं दिया गया था।
- भारत में वर्तमान में वदिशज़ प्रजातियों के घरेलू व्यापार में लगातार वृद्धि हो रही है। अनेक प्रजातियाँ यथा 'शुगर ग्लाइडर्स' (Sugar Gliders) मकई सर्प (Corn Snakes) आदि को CITES के तहत सूचीबद्ध नहीं कया गया है।
- ऐसे लोग जो वन्यजीवों की 'कैप्टिव ब्रीडिंग' (Captive Breeding) करते हैं एडवाइज़री में उसके लिये रखरखाव मानकों का कोई उल्लेख नहीं कया गया है।
 - कैप्टिव ब्रीडिंग वह परकीय है जिसमें वनस्पति तथा वन्य जीवों को नयित्तरति वातावरण यथा वन्यजीव भंडार, चड़ियाघर, वनस्पति उद्यान आदि में रखा जाता है।
- पशुओं के रख-रखाव तथा देखभाल संबंधी मानकों के अभाव के कारण अलग-अलग प्रजातियों के मध्य भी रोगों के प्रसार की पूरी संभावना रहती है।
- एडवाइज़री को कानूनी समर्थन का अभाव है, अतः यह वन्य जीवों के अवैध व्यापार को बढ़ावा दे सकता है।

नषिकर्ष:

- वदिशज़ जानवरों के व्यापार के नयिमन के लिये उचित नयिमों के नरिमाण की आवश्यकता है जिसमें वदिशज़ प्रजातियों के साथ जुड़े वास्तविक जोखिमों तथा लागतों को ध्यान में रखा जाए।

स्रोत: डाउन टू अर्थ